HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 869/2026

Ghan Bahadur S/o Bhadra Bahadur, Aged About 35 Years, Dhuluwaskat District Baglung Nepal (Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Hitesh Vishnoi
For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना एयरपोर्ट, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 248/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 328, 380, 381, 395, 412, 460, 467, 468, 471, 201, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। सहअभियुक्त लक्ष्मी का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12825/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक 13.11.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादिया के घर में नौकर के रूप में कार्य करते हुए घर में रखे सामान की चोरी के अपराध का आरोप है। परिवादी के घर में अन्य नौकर लक्ष्मी पर भी यही आरोप है कि घर में रखे सामान लक्ष्मी से बरामद हुए हैं, इस प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त से भी घड़ी बरामद हुई है। सहअभियुक्त लक्ष्मी का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 12825/2025 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक 13.11.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.11.2022 से करीब तीन साल चार महीने से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **धन बहादुर पुत्र भद्र बहादुर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

31-kumawat/-